(116)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 708–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 57/अपील/2009–10

.....

नर्मदा सिंह आत्मज श्री समरसिंह
निवासी ग्राम गायब्यान तहसील उदयपुर
जिला रायसेन

..... आवेदक

विरूद्ध

1–संदीप कुमार आत्मज श्री शिवराजसिंह
2–शिवराजसिंह आत्मज श्री समरसिंह
दोनों निवासीगण ग्राम गायब्यान तहसील उदयपुर
जिला रायसेन

..... अनावेदकगण

.....

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक द्वारा तहसीलदार उदयपुरा के समक्ष वसीयतनामा दिनांक 18–1–2006 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–5–2009 को आदेश पारित कर जसवंत सिंह की भूमि के 1/2 भाग पर आवेदक एवं 1/2 भाग पर शिवराजसिहं के नामान्तरण के आदेश दिये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–12–09 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2012 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 30–8–17 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उससे किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।

(3) विवादित भूमि उभयपक्षों की पैतृक संपत्ति है तथा संपत्ति पर सभी का समान अधिकार है और ऐसी संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के पक्ष में वसीयतनामें के आधार पर अंतरित नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

(4) अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत स्व0जसबंतसिंह ने अँगूठा निशानी के आधार पर निष्पादित किया जाना बताया है जबकि अनावेदकगण द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि जसबंतसिंह द्वारा दानपत्र पर हस्ताक्षर किये गये है इससे यह पूर्णतः प्रमाणित है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा छलकपट करते हुये वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है ।

(5) वसीयत को दो स्वतंत्र साक्षियों के माध्यम से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जो कि नहीं कराया गया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रकरण में अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः सूक्ष्म जॉच के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं के प्रकाश में न्यायहित में पुनः जॉच किया जाना ही उपयुक्त कार्यवाही है । अतः अपर आयुक्त का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर